

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1795 / ग्यारह-9(86) / 14-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(123)-2014
लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-ख में, क्रम संख्या 22 पर अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
22	कम्प्यूटर सिस्टम एण्ड पेरीफेरल्स, कम्प्यूटर पार्ट्स, इलेक्ट्रानिक्स डायरीज।

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।